झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक

विषय सूची

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

अध्याय–2

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापन

अध्याय–3

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(s) का अंतःस्थापन

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक

प्रस्तावना

राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के आलोक में Gross Enrolment Ratio (GER) को राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त करने एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिला में एक बड़ा बहु विषयक (Multidisciplinary) विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान में गिरिडीह जिले में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। गिरिडीह जिले अन्तर्गत कुल 05 अंगीभूत महाविद्यालय, 10 संबद्ध महाविद्यालय एवं 07 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शासित है। गिरिडीह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की दूरी लगभग 115 किलोमीटर होने के कारण जिले में उच्च शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं रहा है। गिरिडीह में वर्ष 2019 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 11.71 पाया गया,जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से काफी कम है। Low GER यह दर्शाता है कि इस जिले में युवाओं की एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन से दूर है। गिरिडीह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की दूरी होने के कारण जिले के उच्च शिक्षण संस्थान उपेक्षित रहे हैं एवं उच्च शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं रहा है।

नीति आयोग द्वारा गिरिडीह को आकांक्षी जिले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह जिला लम्बे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है, जिसके कारण विकास की गति धीमी है। यह राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्या है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज्यादातर युवा रोजगार एवं बेहतर शिक्षा की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। अधिकांश आबादी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में पलायन करते है।

महान वैज्ञानिक सर जे॰सी॰ बोस का गिरिडीह जिला से खास लगाव था। उनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही गिरिडीह में युवाओं को उच्च शिक्षा की पहुँच प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

उल्लेख करना है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला के निकटवर्ती जिला कोडरमा है। कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 02 अंगीभूत एवं 09 सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शासित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल 05 जिलो का क्षेत्राधिकार है। कोडरमा में वर्ष 2019 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 11.26 है, जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से कम है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला के निकटवर्ती जिला कोडरमा होने के कारण इन जिलों के छात्र एवं छात्राओं को बेहतर एवं सुलभ शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हो सके, इसके लिए कोडरमा जिला

अवस्थित सभी महाविद्यालयों का क्षेत्राधिकार सर जे॰सी॰ बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के नियंत्रणाधीन लाना समीचीन प्रतीत होता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु "सर जे0सी0 बोस विश्वविद्यालय" की झारखण्ड राज्य में स्थापना और उसके अनुरुप झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन का प्रस्ताव है।

अतएव भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो-

अध्याय-1

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम, "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024" कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापनः-

धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा (1)(f) में वर्तमान प्रावधानः-

"विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाएँ और पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य के होगा। संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत आते है, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे।"

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापनः-

"विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो, धनबाद, गिरिडीह तथा कोडरमा जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाएँ और पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में अकादमिक

उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य के लिए होगा। संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत आते है, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे।"

अध्याय-3

4. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(s) का अंतःस्थापन

निम्नलिखित प्रावधान का अन्तःस्थापन निम्नतः होगाः-

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), जिसे इसके बाद कथित अधिनियम के नाम से जाना जायेगा, की धारा-3 की उपधारा-1 (r) के अंत में निम्नलिखित उपधारा-(1)(s) के रुप में अन्तःस्थापन किया जायेगा।

"3 (1) (s) सर जे॰ सी॰ बोस विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय गिरिडीह, झारखण्ड में होगा और जिसकी अधिकारिता गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों पर होगी।"

उद्देश्य एवं हेतु

सर जे०सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह की स्थापना का उद्देश्य एवं हेतु इस प्रकार है:–

1. सर जे०सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

2. विश्वविद्यालय का मुख्यालय गिरिडीह (झारखण्ड) में होगा। वर्तमान में गिरिडीह जिले में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। गिरिडीह जिले अन्तर्गत कुल 05 अंगीभूत महाविद्यालय, 10 संबद्ध महाविद्यालय एवं 07 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शासित है। गिरिडीह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की दूरी लगभग 115 किलोमीटर होने के कारण जिले में उच्च शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं रहा है। गिरिडीह में वर्ष 2019 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 11.71 पाया गया,जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से काफी कम है। Low GER यह दर्शाता है कि इस जिले में युवाओं की एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन से दूर है। गिरिडीह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की दूरी होने के कारण जिले के उच्च शिक्षण संस्थान उपेक्षित रहे हैं एवं उच्च शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं रहा है।

3. नीति आयोग द्वारा गिरिडीह को आकांक्षी जिले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह जिला लम्बे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है, जिसके कारण विकास की गति धीमी है। यह राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्या है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज्यादातर युवा रोजगार एवं बेहतर शिक्षा की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। अधिकांश आबादी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में पलायन करते है।

4. महान वैज्ञानिक सर जे°सी° बोस का गिरिडीह ज़िला से खास लगाव था। उनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही गिरिडीह में युवाओं को उच्च शिक्षा की पहुँच प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

5. उल्लेख करना है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला के निकटवर्ती जिला कोडरमा है। कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 02 अंगीभूत एवं 09 सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शासित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल 05 जिलो का क्षेत्राधिकार है। कोडरमा में वर्ष 2019 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 11.26 है, जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से कम है।

6. अतः वर्णित परिस्थिति में गिरिडीह एवं कोडरमा जिला अवस्थित सभी महाविद्यालयों का क्षेत्राधिकार सर जे°सी° बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के नियंत्रणाधीन लाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

(चम्पाई सोरेन)
भार–साधक–सदस्य